



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 163-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025 (BHADRA 26, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितंबर, 2025

संख्या 41/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों के संबंध में 6 प्रतिशत राज्य कर की दर को अधिसूचित करते हैं, जो उन मालों के अंतः राज्यीय प्रदाय पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका विवरण उक्त अनुसूची के खाना (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में, जो टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन आने वाले माल हैं, जैसा कि उक्त अनुसूची के खाना (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्रम संख्या	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	6815	प्लाइ ऐश ईटें, प्लाइ ऐश समुच्चय; प्लाइ ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भोजन या समरूप सिलिकामय मिट्टी की ईटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइलें

व्याख्या.- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-

- (क) "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, शीर्ष, उप-शीर्ष और अध्याय का है;
- (ख) धारा और अध्याय नोट्स और प्रथम अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के निवर्चन के नियम, जहाँ तक हो सके, इस अधिसूचना के निवर्चन पर लागू होंगे;

- (ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और अपरिभाषित, किन्तु हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 14) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें दिया गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2025

No. 41/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the state tax of 6 per cent in respect of goods specified in the Schedule given below, that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

Serial Number	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	6904 10 00	Building bricks
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles

Explanation.— For the purposes of this notification,—

- (a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975);
 - (b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;
 - (c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.
2. This notification shall come into force on the 22nd September, 2025.

ASHIMA BRAR,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.